झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

द्वादश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 03.08.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स0वि0स0**	धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन एवं घनी आबादी का क्षेत्र है। निरसा प्रखंड के पाण्ड्रा में वर्ष 2008-09 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू कराया गया जो पांच वर्षो से भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। 5-6 वर्षो से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण बाद भी अबतक चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, उपकरण, दवाईयां आदि उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य केन्द्र को चालू नहीं कराया गया है जिससे अगल-बगल के ग्रामीणों को चिकित्सा सेवा से वंचित होना पड़ रहा है। अतः मैं उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू वित्तीय वर्ष में चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों, उपकरण व दवाईयों की आपूर्ति कर चालू कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण**
02-	**श्री दशरथ गागराई स0वि0स0**	चक्रधरपुर-टोकलो-कुचाई पथ (22.170 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण योजना में सरायकेला-खरसावां जिला के कुचाई अंचल के रूचाव, रेगाडी, जोबाजंजीर, गोपीडीह आदि गांवों के रैयतों से	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
		उनके रैयती जमीन का भू-अर्जन वर्ष 2012-13 में किया गया है। भू-अर्जन के समय इन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा की राशि दी गयी है। संबंधित रैयत नये प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून के तहत् मुआवजा की मांग कर रहे थे, परंतु नये कानून के लागू नहीं होने एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आपत्ति के साथ मुआवजा लेने की सलाह पर रैयतों ने पुराने दर पर मुआवजा की राशि स्वीकार कर ली। पुराने दर पर इन्हें बहुत ही कम राशि मुआवजा के रूप में दी गयी एवं इनके द्वारा किये गये आपत्ति पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अतएव उपर वर्णित योजना से प्रभावित रैयतों के आपत्ति पर कार्रवाई करते हुए सभी रैयतों को नये दर पर मुआवजा देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	
03-	**डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0** **श्री मंगल कालिन्दी स0वि0स0** **श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0**	विदित हो कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आज तक सरकार गठन के 4 वर्षों के उपरांत भी अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, वित्त निगम, उर्दू अकैडमी और मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का होना अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अकारण ही विभिन्न मुकदमों में फंसा दिया गया है। जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए एवं बेगुनाह लोगों के विरुद्ध मुकदमों को पत्थलगड़ी मुकदमा की भांति ही वापस लिया जाना चाहिए। ताकि इस समुदाय के लोगों का विश्वास जीता जा सके। अतः उक्त के आलोक में मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन बिंदुओं पर वक्तव्य की मांग करता हूँ।	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण**

01.	02.	03.	04.
04-	श्री निरल पुरती स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के कोल्हान प्रमण्डल में कुल-05 एकलव्य विद्यालय है जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत 02 एकलव्य विद्यालय का भवन का निर्माण हो चुका है तथा विगत तीन वर्षो यानि 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 में नामांकन हेतु छात्रों का चयन कर लिया गया है एवं विद्यालय भवन में किसी प्रकार की सुविधा (बैंच, टेबल, इत्यादि) उपलब्ध नहीं है तथा एकलव्य विद्यालय का संचालन अभीतक सुचारू रुप से नहीं हो रहा है और विद्यालय में मात्र 01 शिक्षक प्रधानाचार्य के रुप में प्रतिनियुक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। अतएवं उपर्युक्त के आलोक में मैं सदन के माध्यम से कोल्हान प्रमण्डल के एकलव्य विद्यालय में चयनित छात्रों का नामांकन एवं विद्यालयों की सुविधा (बैंच, टेबल, इत्यादि) उपलब्ध कराते हुए अतिशीघ्र संचालन हेतु ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
05-	श्री अमित कुमार मण्डल स0वि0स0	गोड्डा जिला अन्तर्गत प्रखंड- बसंतराय के ग्राम हिलावे के विजय रविदास, पिता- स्व0- पुरन रविदास, सरजु दास, पिता- स्व0- हलधर रविदास, संतलाल दास, पिता- स्व0- हलधर रविदास, सुभाष दास पिता-स्व0- हलधर रविदास, विलास दास पिता- सरजु दास, वमवम दास, पिता- संतलाल दास, इसी तरह प्रखंड- गोड्डा के पंचायत लोबन्धा ग्राम- छोटी लोबन्धा के एक ही परिवार के चार घरों क्रमशः प्रमोद राय, सम्रोद राय, कुमोद राय, संतोष राय, पिता- नरेश राय वही पंचायत- रमला- ग्राम ढोढ़री के कन्हैया माँझी, पिता- अनिरूद्ध माँझी एवं आरती देवी पति- निरंजन मंडल पंचायत रमला ग्राम- ढोढ़री के घर (मकान) में विगत छः माह के अन्दर आग लग जाने के कारण सब कुछ जल कर नष्ट (खत्म) हो गया है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		ये सभी गरीब- व असहाय श्रेणी में आते हैं। इन सभी परिवारों का जीना मुश्किल हो गया है। जिससे ये परेशान है। अतः सदन के माध्यम से इस महत्त्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि सरकार आपदा प्रबंधन के तरफ से तुरंत आर्थिक सहयोग राशि के पश्चात आवास निर्माण समेत सभी सहायता करे।	

राँची,
दिनांक- 03 अगस्त, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-45/2023-...2082.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 02/08/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.08.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-45/2023-...2082.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 02/08/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

02.08.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

02.08.23

सुभाष/-